प्रेस विज्ञप्ति

30.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30/01/2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। परिसंपत्तियों में मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, गांव रहमतनगर में स्थित 0.082 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि शामिल है।

ईडी ने मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों आशीष श्रीवास्तव, अंकुर श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उप्र पुलिस द्वारा दर्ज 100 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इस मामले में अनुमानित अपराध की आय (पीओसी) 10 करोड़ रुपये से अधिक है।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में जनता से धन एकत्र किया। आरोपी व्यक्तियों ने कोई रियल एस्टेट परियोजना नहीं बनाई और/या निवेशकों को वादा किया गया पैसा वापस नहीं किया। ईडी की जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी से एकत्र किए गए धन को आरोपी व्यक्तियों और कंपनी के कई बैंक खातों में जमा किया गया था। ईडी की जांच ने फंड ट्रेल की पहचान की और पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को कंपनी यानी मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्ति खरीदने के लिए अंतरित और विपथित किया गया था। ईडी ने संपत्ति की पहचान कर 90.42 लाख रुपये की कृषि भूमि कुर्क कर ली है।

आगे की जांच जारी है।